के हाथ में सत्ता दी गई है। इसको चुनाव के पहले क्यों नहीं किया जैसे हिन्दुस्तान में बाकी राज्यों में हमने किया ?

श्री मु० यूनस सलीम: गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से उनको कोई मश्विरा नहीं दिया गया था कि वे रिप्रिजन्टेशन आफ पीपल एक्ट में किस वक्त ऐसी तरमीम करें।

श्री सरजू पाण्डेय : जो नामिनेशन पेपर रिजैक्ट हुए सब की पैटीशंज़ हाई कोर्ट में चल रही हैं। काश्मीर में इस ग्राऊंड पर भी नामीनेशन पेपर खारिज किए गए थे कि बहुत सारे सदस्यों ने नामीनेशन पेपर दाखिल करने से पहले ओथ नहीं ली। में यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से मामूली-मामूली गलतियों पर जो नामीनेशन पेपर खारिज किये गये हैं, क्या इस बारे में विचार कर के सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी जिससे भविष्य में ऐसा न हो सके।

श्री मु० यूनस सलीम : ये नामीनेशन पेपर मुख्तलिफ़ ग्राउंड्ज़, बुनियादों पर रिजैक्ट किये गये थे। बाज़ नामीनेशन पेपर इस बुनियाद पर रिजैक्ट किये गये थे कि उम्मीदवारों ने ओथ आफ़ एलिजियन्स नहीं ली थी, जैसा कि एक्ट में प्रोवाइडिड है। बाज़ नामीनेशन पेपर इस बुनियाद पर खारिज किये गये थे कि उन्होंने इलैक्शन रोल की सर्टिफ़ाइड कापी साथ नहीं लगाई थी, जो कि कानून के हिसाब से ज़रूरी है। बाज़ ने सिक्यूरिटी डिपाज़िट नहीं की थी, जो कि कानून के मुताबिक ज़रूरी है। इस तरह से रिप्रैजन्टेशन आफ़ पीपल एक्ट में जो ज़रूरी कन्डीशन्ज़ हैं, उनको कम्प्लाई विद न करने की वजह से ये नामीनेशन पेपर रिजैक्ट किये गये थे। इससे जो लोग नाराज़ हैं, उन्होंने अपने इलैक्शन पैटीशन फ़ाइल किये हैं। वह मामला अदालत के सामने है। जो अदालत का फ़ैसला होगा, उसके मुताबिक कार्यवाही होगी।

SHRI INDER J. MALHOTRA: May I know from the hon. Minister whether he is in a position to clarify the misunderstanding that during the last General Elections, the method and procedure adopted in Jammu and Kashmir State was, in any way, different than the method and procedure adopted in other parts of the country:

SHRI M. YUNUS SALEEM: There was no difference; it was similar as in other States.

MR. SPEAKER : Now we take up the Short Notice Question.

SHRI HUMAYUN KABIR: I wanted to put a supplementary on this question.

MR. SPEAKER : It is alrady 3 minutes past 12 O'Clock. Short Notice Question.

Shri Narendra Singh Mahida—absent.

Unfortunately, the Member who has tabled the Short Notice Question is not present in the House. Hon. Member who have tabled Short Notice Questions particularly should be present. It is unfortunate.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली वक्फ बोर्ड

*483. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली वक्फ़ बोर्ड ने दिल्ली में अनेक मस्जिदें किराये पर दे रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात और गबन की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). जी हां । दिल्ली प्रशासन द्वारा चार शिकायतें प्राप्त किए जाने की रिपोर्ट मिली है । इनमें से तीन की प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है । चौथी ऐसे मामले से सम्बन्धित थी जो न्यायालय में लम्बित है और इसलिए शिकायत करने वाले को प्रशासन द्वारा यह सूचना दी गई कि वह उपचारी कार्यवाही के लिए न्यायालय के पास जाए ।

INFORMAL CONSULTATIVE COMMITTEES

*484. SHRI C. K. CHAKRAPANI :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN
SHRI JYOTIRMOY BASU:
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI DEIVEEKAN:
SHRI ANBUCHEZHIAN :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the powers and functions of Informal Consultative Committees;

(b) whether Government propose to change the functions of the present set up; and

(c) if so, when a decision is likely to be taken thereon?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) to (c). The Informal Consultative Committees are constituted to promote contact between Members and Ministers and Officials and to foster closer acquaintance of Members through informal discussion, with the principles, problems and working of Government policies and public administration. Members serving on the Committees are requested to give notices of subjects which they may like to raise at these meetings and often material on these subjects is circulated to the members in advance of the dates of the meetings.

While there is no proposal to change the functions of the present set up as an experimental measure, Ministries have been requested to circulate minutes of the meetings of Informal Consultative Committees to Members; they have also been advised that if on a particular issue there is a general consensus of opinon, it should be normally accepted. If there is any difficulty in doing so, the reasons for non-acceptance of that view should be explained to the Members of the Informal Consultative Committees.

दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार

*485. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **संसद्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन विभाग के नये महाप्रबन्धक ने अपने पद का भार सम्भालने के बाद दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली में कुछ सुधार करने का वचन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रख दिया गया । **देखिये** संख्या/Lt.-375/68']

WAGE CUT BY TEXTILE MILLS

*486. SHRI VISWANATHA MENON:
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN:
SHRI K. RAMANI:
SHRI UMANATH:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the South Indian Mill Owners' Association have put forward any proposal for wage cut to tide over the textile crisis: